अनुदान संख्या 58 – सूचना और प्रसारण मंत्रालय
GRANT No. 58–MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*3,00*	*1,00*	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1558,57,00		1558,60,00	1387,22,45	–171,37,55
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					164,58,90
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	157,47,00		157,48,00	75,21,57	–82,26,43
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					83,42,83

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृतअंश में, बचतें/ अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2220"	Major Head "2220"				
सूचना तथा प्रचार	Information and Publicity				
मू.	O.	25420.00	24290.39	23991.64	–298.75
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–1131.61			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2221" प्रसारण	Major Head "2221" Broadcasting				
मू.	O.	123407.00			
पू.	S.	1.00	112747.00	112409.00	–338.00
पु.	R.	–10661.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	4646.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–4646.00			

(I) 5535.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 5385.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of Rs.5535.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.5385.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2220'' - ''केंद्रीय निगरानी सेवाएं'' -

(A) Major Head "2220" – "Central Monitoring Services" -

(क) ''निदेशन और प्रशासन'' - 300.00 लाख रु.; और

(a) "Direction and Administration" - Rs.300.00 lakhs; and

(ख) ''अन्य व्यय'' - 585.00 लाख रु.।

(b) "Other Expenditure" - Rs.585.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्यालय के लिए जगह उपलब्ध न होने और बजटीय कंप्यूटर कोड के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained wholly unutilised due to non-availability of office space and budgetary computer code.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''सामान्य (प्रसारण) - प्रसार भारती को अनुदान - प्रसार भारती'' 4500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2552" - "General (Broadcasting) - Grants to Prasar Bharti - Prasar Bharti" - Rs.4500.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''2220'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''फिल्में - अन्य व्यय'' -

(क) 'बाल फिल्म समिति' - 261.79 लाख रु. की बचत (536.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फिल्म के निर्माण से संबंधित स्कीम का पुन: नियोजन किए जाने और हैदराबाद में भारतीय बाल फिल्म समिति परिसर को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुईं।

(ख) 'फिल्म समारोह निदेशालय' - 242.19 लाख रु. की बचत (827.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने, मंत्रालय द्वारा कम दौरों का अनुमोदन किए जाने, राज्य सरकार द्वारा खर्च को बांटने और वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य'' -

(क) ''विज्ञापन और दृश्य प्रचार - विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय'' - 203.15 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 6159.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने, किराए की आंशिक अदायगी किए जाने और निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) ''क्षेत्र प्रचार - क्षेत्र प्रचार निदेशालय' - 192.72 लाख रु. की बचत (2710.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्र प्रचार निदेशालय द्वारा लघु निर्माण कार्य के संबंध में निधियों की कम आवश्यकता होने और वेतन एवं लेखा कार्यालय (दूरदर्शन) द्वारा अधिकृत स्थान का नवीकरण स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(ग) 'रोजगार समाचार - रोजगार समाचार सेवाएं - 489.68 लाख रु. की बचत (2917.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने और मुद्रण आदेश में कमी आने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2220" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Films – Other Expenditure" –

(a) "Children's Film Society" - saving of Rs.261.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.536.30 lakhs) was due to re-planning of scheme on film production and non approval of Children's Film Society of India complex at Hyderabad.

(b) "Directorate of Film Festivals" - saving of Rs.242.19 lakhs(against the sanctioned provision of Rs.827.00 lakhs) was due to economy measures, less tours approved by Ministry, expenditure shared by State Government and restriction on expenditure imposed by the Ministry of Finance.

(B) "Others" -

(a) "Advertising and Visual Publicity – Directorate of Advertising and Visual Publicity" - saving of Rs.203.15 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6159.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2006) was due to restriction imposed by Ministry of Finance, part payment of rent and less requirement of funds.

(b) "Field Publicity - Directorate of Field Publicity" - saving of Rs.192.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2710.00 lakhs) was due to less requirement of funds for minor works by Directorate of Field Publicity and postponement of renovation of the portion occupied by Pay and Accounts Office (Doordarshan).

(c) "Employment News - Employment News Services" - saving of Rs.489.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2917.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance and decrease in print order.

(III) मुख्य शीर्ष ''2221'' - ''सामान्य - प्रसार भारती को अनुदान - प्रसार भारती' - 10995.00 लाख रु. की बचत (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 123404.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू एवं कश्मीर परियोजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने की वजह से प्रसार भारती द्वारा योजना के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा जम्मू और कश्मीर विशेष पैकेज के चरण-II को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(III) Major Head "2221" – "General – Grants to Prasar Bharti – Prasar Bharti" - saving of Rs.10995.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.123404.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2007) was due to less requirement of funds under Plan by Prasar Bharti owing to delay in finalisation of Jammu and Kashmir projects, availability of unspent balance of previous year and non-approval of Jammu and Kashmir Special Package to Ph.II by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 133.28 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 18 प्रतिशत थीं।

(IV) Under two heads savings of Rs.133.28 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent and 18 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (897.32 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2220'' - ''अन्य - प्रैस सूचना सेवाएं - प्रैस सूचना ब्यूरो' के अंतर्गत दिसंबर, 2006 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 801.76 लाख रु. था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.897.32 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2006 under Major Head "2220" - "Others - Press Information Services - Press Information Bureau". Actual excess however, was Rs.801.76 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2220'' - ''फिल्में - फिल्मों का निर्माण - फिल्म प्रभाग' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 145.85 लाख रु. का अधिक व्यय (2774.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फिल्मों का अधिक निर्माण और वितरण किए जाने और विभिन्न प्रचार इकाईयों को फिल्मों के निर्माण संबंधी कार्यों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2220" - "Films – Production of Films-Films Division" - excess of Rs.145.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2774.00 lakhs) was due to more production and distribution of films and transfer of work of films to various media units.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (8342.83 लाख रु.) 8226.43 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गईं।

3. In the voted portion of the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.8342.83 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.8226.43 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4220" सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4220" Capital Outlay on Information and Publicity				
मू.	O.	4629.00	1903.17	2019.57	+116.40
पु.	R.	–2725.83			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	6547.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–6547.00			
मुख्य शीर्ष "6220" सूचना तथा प्रचार के लिए कर्ज	Major Head "6220" Loans for Information and Publicity				
पू.	S.	1.00	1500.00	1500.00	. .
पु.	R.	1499.00			
मुख्य शीर्ष "6221" प्रसारण के लिए कर्ज	Major Head "6221" Loans for Broadcasting				
पू.	S.	4571.00	4002.00	4002.00	. .
पु.	R.	–569.00			

(I) 6617.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6517.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य (सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय) - मशीनरी और उपस्कर - क्षेत्र प्रचार निदेशालय के लिए उपस्कर का अधिग्रहण' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम में उपयोग के लिए आंशिक

(I) Provision of Rs.6617.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.6517.00 lakhs alone was under Major Head "4552" – "Others (Capital Outlay on Information and Publicity) – Machinery and Equipment – Acquisition of Equipment for Directorate of Field Publicity" - due to re-appropriation of part funds

निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

to the functional head for utilisation in the scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''4220'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4220" -savings occurred under the following heads:-

(का) ''फिल्में - अन्य भवन'' -

(A) "Films - Other Buildings" -

(क) ''चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)'' - 640.65 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(a) "Setting up of Museum of Moving Images (Films Division)" –saving of Rs.640.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to less requirement of funds.

(ख) ''फिल्म समारोह परिसर - परिवर्धन तथा परिवर्तन'' - 108.34 लाख रु. की बचत (318.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों और सिविल निर्माण स्कंध द्वारा कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण हुई।

(b) 'Film Festival Complex - Additions and Alterations" - saving of Rs.108.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.318.00 lakhs) was due to economy measures and delay in implementation by Civil Construction Wing.

(खा) ''अन्य - भवन'' -

(B) "Others –Buildings" –

(क) ''पत्र सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रैस केंद्र तथा लघु जनसंचार केंद्रों की स्थापना'' - 993.13 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का अनुमोदन न किए जाने, जम्मू एवं कश्मीर परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने की वजह से प्रसार भारती द्वारा योजना के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने और दिल्ली शहरी कला आयोग/केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Setting up of National Press Centre and Mini Media Centres of Press Information Bureau" - saving of Rs.993.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme, less requirement of funds under plan by Prasar Bharti owing to delay in finalisation of Jammu and Kashmir Project and non-receipt of approval from Delhi Urban Arts Commission/Centre Public Works Department.

(ख) ''निजी एफएम रेड़ियों केंद्रों के लिए भवन और टावर'' - 937.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(b) "Building and Towers for Private FM Radio Stations "- saving of Rs.937.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष ''6221'' - ''प्रसार भारती को कर्ज - प्रसार भारती'' के अंतर्गत 569.00 लाख रु. की बचत (4571.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने की वजह से

(III) Under Major Head "6221" - "Loans to Prasar Bharti – Prasar Bharti" - saving of Rs.569.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4571.00 lakhs) was due to less requirement of funds under Plan by Prasar Bharti owing to

प्रसार भारती द्वारा योजना के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विशेष पैकेज के चरण-II को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 67.68 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 98 प्रतिशत थी।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1499.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''6220'' - ''फिल्में - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम'' के अंतर्गत मार्च, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4220'' - ''फिल्में - अन्य भवन - भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के लिए चरण-II भवन का निर्माण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 247.00 लाख रु. (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के लक्ष्य को वर्ष के अंत तक पूरा किए जाने का निर्णय लिए जाने के कारण थे।

delay in finalisation of Jammu and Kashmir Project and non-approval of Special Package Ph.II by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(IV) Under one head saving of Rs.67.68 lakhs occurred constituting 98 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (Rs.1499.00 lakhs) utilised by augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2007 under Major Head "6220" – "Films - Loans to Public Sector and Other Undertakings – National Film Development Corporation".

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4220 – "Films – Other Buildings – Construction of Phase II Building for National Film Archive of India" – Rs.247.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to the decision taken to complete the targeted project by end of the year.